न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक–995–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनाक–11–01–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर सतना के प्रकरण कमांक–316/निगरानी/2010–2011

1–श्रीमती गीता पत्नी श्री इन्द्रमणि शुक्ला,

निवासी ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0।

निगराकार......

विरूद्ध

1–श्री उर्मिला प्रसाद तनय स्व. श्री श्यामसुन्दर,

2–श्री रामायण प्रसाद एवं

3–श्री जमुना प्रसाद, दोनों के पिता श्री रूद्रमणि प्रसाद,।

4–श्री रामाश्रय

5–श्री रामबाबू

दोनों के पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद, सभी निवासी ग्राम चोरमारी,।

6–श्री लालमणि त्रिपाठी एवं

7–श्री हीरामणि, दोनों की मॉ सितरजुआ ग्राम भटिगवां तहसील कोटर, जिला सतना म0प्र0।

गैरनिगराकारण...........

श्री सी0बी0 शर्मा, आवेदक अधिवक्ता
श्री रघुबंश प्रताप सिंह अना. 1, 2, 3 के अधिवक्ता
श्री अरविन्द मिश्रा अना.4, 5, 6, 7 के अधिवक्ता

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक– 4 . 1 . 2016)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर सतना के द्वारा पारित आदेश दिनांक–11.–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2. प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि निगराकार श्रीमती गीता शुक्ला पत्नी श्री इन्द्रमणि शुक्ला द्वारा दिनांक 2.12.09 को सर्वे कमांक 663, 693, 694, 762, 763, 764, 765, 766/2251, 767, 773, 766, 987 कुल किता 12 रकवा 25.51 एकड़ में से कुल रकवा 5.63 एकड़ का खाता विभाजन का एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अंतर्गत तहसीलदार वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–27/09–10 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 से बटवारा आवेदन स्वीकार किया गया। तहसीलदार के उक्त बटवारा आदेश दिनांक 30.05.2011 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के समक्ष गैरनिगराकार कमांक 1 श्री उर्मिला प्रसाद, 2. श्री रामायण प्रसाद, एवं 3. श्री जमुना प्रसाद द्वारा प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 101/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2011 से अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.05.2011 निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 28.06.2011 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगराकार श्रीमती गीता शुक्ला द्वारा प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 316/निगरानी/10–11 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 11.01.2012 से यह अंकित करते हुए कि गैरनिगराकार कमांक 1 लगायत 3 के

द्वारा उपस्थित होने के बावजूद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गये हैं, ऐसी स्थिति में यह न्यायसंगत है कि उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी अस्वीकार की गयी। अपर कलेक्टर जिला सतना के उक्त आदेश दिनांक 11.01.2012 से परिवेदित होकर निगराकार द्वारा यह निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी में वर्णित उपरोक्त तथ्यों के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को तर्क हेतु अवसर दिया गया, तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाया गया। निगराकार के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेशों में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है, कि विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा गैरनिगराकारगण कमांक 1 से 3 को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि गैरनिगराकार कमांक 3 के द्वारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया और न ही सूचना उपरांत साक्ष्य हेतु ही उपस्थित हुआ तथा गैरनिगराकार कमांक 2 एवं 3 विचारण न्यायालय में कई बार साक्ष्य का अवसर लेने के बाद तथा विचारण न्यायालय में स्वयं साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया है,इस बात की टीप तहसीलदार द्वारा अपने प्रकरण की प्रकरण पत्रिका पर भी अंकित की गयी हैं। इस प्रकार उनके द्वारा जानबूझ कर स्वयं अपनी स्वेच्छा से साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसर प्राप्त होने के बाद भी प्राप्त अवसर का लाभ नहीं लिया गया। इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलेखों का बिना परीक्षण किए एवं बिना अवलोकन किए उन्हें साक्ष्य का अवसर दिए जाने के औचित्यहीन विधि विरूद्ध आदेश जारी किए गये हैं। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि तहसीलदार द्वारा पक्षकारान के आपसी लिखित समझौता पत्र के आधार पर बटवारा आदेश पारित करते हुए नक्शे पर भी बटवारा करने के आदेश दिए गये थे। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि जिस पूर्व बटवारे की बात बार–बार गैरनिगराकरगण कमांक 1 से 3 द्वारा कही जा रही है तो

इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व बटवारे का कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि जिस आपसी समझौता पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा बटवारे का आधार माना गया है उसमें स्पष्ट रूप से दिशा एवं साइड तथा पक्षकारगणों के नाम खोले गये है। इस प्रकार गैरगिराकरगण का यह कहना कि समझौता पत्र में स्पष्टता नहीं है वेबुनियाद एवं निराधार है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जो विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं में भी अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा ।

गैरनिगराकरगण कमांक 1 से 3 द्वारा अपने लिखित तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि निगराकार एवं गैर निगराकारगण विवादित भूमि में सहखातेदार के रूप में अभिलेख में दर्ज हैं जो पूर्व में हुए बटवारे के अनुसार मौके पर अपने अपने हिस्से में प्राप्त रकवे पर काबिज हैं। इस प्रकार अपने अपने हिस्से पर काबिज अनुसार आवेदिका श्रीमती गीता द्वारा भूमि क्रय कर क्रय रकवा 5.63 एकड़ पर अपने कब्जे अनुसार अपना हिस्सा सहखाते से अलग कराने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है, कि गैरनिगराकार कमांक 1 से 3 द्वारा तहसील न्यायालय में निगराकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का जबाव पेश किया जाकर उसके पैरा कमांक 4 व 5 एवं विशेष कथन में स्पष्ट रूप से लेख किया गया था कि पूर्व में हुए बटनवारा के मुताविक मौके पर सभी लोगों का कब्जा है और मौके पर कब्जा अनुसार पूर्व बटनवारा के अनुसार फर्द बटनवारा पुल्ली तैयार करायी जाकर बटनवारा किया जाये, जो स्वीकार होगा। उनके द्वारा यह भी स्वीकार करते हुए लिखित तर्क में लिखा गया है, कि जबाव प्रस्तुत होने के बाद तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन व पंचनामा आहूत कर निगराकार व उसके पति का एकपक्षीय रूप से साक्ष्य लेकर आपसी समझौता पत्र की छाया प्रति को आदेश का अंग मानकर गैरनिगराकार को साक्षियों का प्रतिपरीक्षण व अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पक्ष रखने का अवसर दिए बिना एक पक्षीय रूप से तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.05.2011 को आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया कि निगराकार द्वारा

गैरनिगराकारगण के मध्य हुए आपसी पूर्व विभाजन के बाद कुल भूमि का 1/5 हिस्सा कय किया गया है, इस कारण निगराकार का नाम सहखाते में दर्ज हुआ। निगराकार गैरनिगराकारगण के सजरा खानदान की नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों में अंकित हैं, जिन्हें दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं हैं, किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। गैरनिगराकार कमांक 1 से 3 द्वारा मुख्य रूप से सुनवाई न किए जाने के बिन्दु पर जोर दिया गया है और अधीनस्थ दोनों अपीलीय एवं निगरानी न्यायालय द्वारा भी अपने आदेशों में मुख्य आधार सुनवाई का अवसर न दिया जाना ही माना गया है। अंत में उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.2011 एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 11.01.2012 को उचित बताते हुए स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

गैरनिगराकार कमांक 4 से 7 जो अनावेदक कमांक 1 से 3 के सजरा खानदान के व्यक्ति हैं, के अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह कहा गया कि गैरनिगराकार कमांक 1 से 3 द्वारा पूर्व बटवारे की जो बात बार बार कही जा रही है उसके संबंध में उनके द्वारा पुराने बटवारे के संबंध में कोई प्रमाण ही प्रस्तुत नहीं किए गये हैं और कई अवसर लेने के बाद भी साक्ष्य एवं कथन आदि प्रस्तुत नहीं किए गये है। इस प्रकार गैरनिगराकार कमांक 1 से 3 के द्वारा उठाए गये बिन्दुओं को नकारते हुए आपसी समझौता पत्र जो नोटरी के समक्ष हुआ था जिस पर उनके भी हस्ताक्षर है के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.05.2011 को किए गये बटवारा आदेश को विधिवत व सही मानते हुए निगराकार के आवेदन एवं तर्को का समर्थन करते हुए निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये हैं, जिन्हें यहां पुनः उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है।

निगराकर अधिवक्ता एवं गैरनिगराकार के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं बारीकी से

परीक्षण किया गया । जिसके अनुसार स्थिति इस प्रकार है कि: प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा मुख्य रूप से अपने आदेशों में विचारण न्यायालय द्वारा गैरनिगराकारगण को सुनवाई का अवसर ना दिए जाने का आधार लिया गया है– अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बहुत ही संक्षेप में पारित आदेश दिनांक 28.6.2011 में यह अंकित किया गया है कि " अध्ययन किया गया। आदेश उद्घोषित एवं आदेश पत्रिका में पारित। अपील स्वीकार की गयी। अपीलान्तर्गत आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी का सत्यापन किया जाकर पूर्व में हुए बटवारा स्थल पर कब्जा आदि की पुष्टि उपरांत विधिवत आदेश पारित किया जावे"। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि का बिना परिशीलन किए एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अवलोकन किए बिना आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में (अमर सिंह बनाम अहिबरन, 1992 रा.नि. 4) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "एफ– विभाजन नियम–4 तथा 6 भू–खण्डों की उत्पादकता तथा समीपस्थता पर बॅटवारे में विचार किया जावेगा, किसी पक्षकार का किसी भू–खण्ड पर कब्जा होना बटवारे में केवल आधार नहीं माना जा सकता"। ऐसी स्थिति में कब्जे आदि की पुष्टि हेतु प्रकरण को प्रत्यावर्तित करना उचित नहीं है।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.01.2012 में यह अंकित किया है कि "अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य स्थल के बारे में सम्यक जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जैसा कि स्वयं निगराकार की निगरानी के बिन्दु कमांक 2 (अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो के बिन्दु 2) में भी यह उल्लेख किया गया है कि गैर निगराकार कमांक 1 से 3 के द्वारा उपस्थित होने के बाद भी साक्ष्य पेश नहीं किया गये, इससे यह न्यायसंगत है कि प्रकरण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रकरण में आक्षेपित अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए निगरारी अस्वीकार की गयी। अपर कलेक्टर के द्वारा अपना आदेश पारित करने से पहले विधि की

ठीक से विवेचना नहीं की गयी और न ही अधीनस्थ विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन ही ठीक से किया गया। क्योंकि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा गैरनिकारगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों से तो होती ही है साथ ही अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्वयं यह लिख कर कि स्वयं निगराकार की निगरानी के बिन्दु कमांक 2 (अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो के बिन्दु 2) में भी यह उल्लेख किया गया है कि "गैर निगराकार कमांक 1 से 3 के द्वारा उपस्थित होने के बाद भी साक्ष्य पेश नहीं किया गये"। इससे स्वतः ही यह स्पष्ट हो रहा है कि गैरनिगराकार कमांक 1 से 3 द्वारा उपस्थित रहने के बाद भी साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत नहीं किए गये है। इस संबंध में (भागीरथ वि0 म0प्र0 राज्य 2003, रा.नि. 28 राजस्व मण्डल) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 49–यदि कोई पक्षकार दिए गये सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में उदासीन रहा हो तो उसे पुनः सनवाई का अवसर प्रदाय करना न्यायोचित नहीं। प्रकरण प्रतिप्रेषित विधि के विपरीत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षकारों द्वारा जानबूझ कर सुनवाई के अवसर प्राप्त होने के बाद भी अपनी स्वेच्छा से साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत नहीं किए गये। एसी स्थिति में सुनवाई के अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किए जाने के आदेश अवैधानिक एवं निरस्ती योग्य हैं।

अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में निकाले गये निष्कर्षो के संबंध में मेरे द्वारा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 35/अ–27/09–10 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि राजस्व मण्डल न्यायालय में जो गैरनिगराकार कमांक 1, 2, 3 के रूप में संयोजित है। वे प्रतिपक्षकार कमांक 5 उर्मिला प्रसाद 3 रामायण प्रसाद एवं 4 जमुना प्रसाद के रूप में संयोजित है। प्रकरण में गैरनिगराकार कमांक 1 से 3 को छोड़ कर सभी गैरनिगराकार कमांक 4 से 7 द्वारा, निगराकार श्री मती गीता द्वारा प्रस्तुत बटवारा आवेदन तथा तहसीलदार द्वारा किए गये बटवारा आदेश को विधिवत एवं सही मानते हुए कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में यहां जो भी विष्लेषण किया जा रहा है वह मात्र गैरनिगराकार कमांक 1 से 3 के संबंध में ही किया जा रहा है। तहसीलदार न्यायालय की प्रकरण पत्रिका दिनांक 23.6.10 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैरनिगराकार कमांक 1

उर्मिला सिंह तहसील न्यायालय में उपस्थित हुए हैं, इनके प्रकरण पत्रिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर भी अंकित हैं, किन्तु गैरनिगराकार कमांक 2 रामायण प्रसाद एवं कमांक 3 जमुना प्रसाद के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 23.06.2010 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश किया गया है। तदुपरांत दिनांक 24.09.2010 को गैरनिगराकार कमांक 1 गैर निगराकार कमांक 2 (जो तहसील न्यायालय में कमांक 5 एवं 3 पर संयोजित थे) के द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब तहसीलदार न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार प्रकरण में गैर निगराकार कमांक 1 एवं 2 उपस्थित रहे तथा गैर निगराकार कमांक 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। इस प्रकार उपरोक्त स्थिति से यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसके पश्चात प्रकरण अनावेदकगण के साक्ष्य हेतु नियत किया गया। दिनांक 19.11.2010 को गैरनिगराकार कमांक 1 एवं 2 द्वारा साक्षियों के प्रतिपरीक्षण किए जोने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर से उन्हें दो पेशियों पर साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर मिला किन्तु उनके द्वारा उक्त अवसरों का लाभ नहीं उठाया गया। दिनांक 29.12.2010 को गैरनिगराकार कमांक 1 एवं 2 द्वारा पुनः प्रतिपरीक्षण हेतु अवसर चाहा गया, जो समाप्त किया गया। इसके बाद गैरनिगराकार प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहे तथा प्रकरण गैरनिगराकार के साक्ष्य हेतु दिनांक 10.1.11 से दिनांक 22.3.11 तक नियत होता रहा किन्तु गैरनिगराकारगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात दिनांक 22.3.11 को 10 रूपये कॉस्ट के साथ अंतिम अवसर के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए दिनांक 06.04.2011 नियत की गयी। प्रकरण में दिनांक 11.05.2011 को तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका में टीप अंकित की गयी, कि अनावेदकगण साक्ष्य नहीं देना चाहते, अतः साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। तर्क भी पक्षकारगण नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण आदेशर्थ नियत किया गया। इस प्रकार प्रत्येक पेशी पर गैरनिगराकार कमांक 1 एवं 2 उपस्थित होते रहे है, जिनकी उपस्थिति के तहसीलदार की प्रकरण पत्रिका में हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार यह कहना कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया स्वीकार योग्य नहीं है। इस संबंध में निम्न न्यायसिद्धांतों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है: **सूचना के पश्चात अनुपस्थिति–पर्याप्त अवसर है**–सुनवाई का अवसर–(गोवरधननाथ झा वि0 भारत सेवक गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या0

शिवपुरी 1985, रा.नि.135) में यह व्यवस्था दी गयी है कि "तामील के पश्चात व्यक्ति उपस्थित नहीं–सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। इसी प्रकार (पंजाबराव वि0 श्रीमती लीलाबाई, 1982, रा.नि. 371) में यह व्यवस्था दी गयी है कि–सुनवाई का अवसर–से मना करना–सूचना के पश्चात भी पक्षकार स्वयं अनुपस्थित–शिकायत नहीं कर सकता।

जहां तक सहमति पत्र को तहसीलदार के आदेश का अंग मानने का प्रश्न है एवं उसमें बटवारे की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित न होने की आपत्ति का प्रश्न है, तो इस संबंध में सहमति पत्र दिनांक 23.04.1990 का अवलोकन किया गया, जिसमें निगराकार एवं गैरनिगराकारगण के हस्ताक्षर है, जो 100/–रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटरी के समक्ष तैयार किया जाना पाया गया है। उक्त सहमति पत्र में विवादित भूमि का विवरण अंकित है तथा यह भी अंकित है कि सभी सहखातेदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा रास्ते की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाकर बटवारा विवरण तैयार किया गया, जिस पर सभी पक्षकारान की सहमति के हस्ताक्षर हैं, गैरनिगराकारगण कमांक 1 से 3 के भी सहमति के हस्ताक्षर हैं। जिसमें दिशा खोलकर लम्बाई एवं चौड़ाई भी वर्णित की गयी है, जो इस प्रकार है–

1. पश्चिम तरफ का हिस्सा जिसकी लम्बाई उत्तर–पश्चिम रामाश्रय प्रसाद एवं रामबाबू को हिस्सा दिया जाता है।
2. रामाश्रय प्रसाद से लगी हुई पाटी उर्मिला प्रसाद के हिस्से में होगी जिसकी लम्बाई उत्तर–दक्षिण होगी।
3. उर्मिला प्रसाद से लगी हुई पूर्व की पाटी रामायण प्रसाद एवं जमुना प्रसाद की होगी जिसकी लम्बाई उत्तर–दक्षिण होगी।
4. रामायण प्रसाद एवं जमुना प्रसाद से लगी हुई पाटी श्रीमती गीता पत्नी इन्द्रमणी प्रसाद की होगी जिसकी लम्बाई उत्तर–दक्षिण होगी।

इस प्रकार सहमति पत्र में उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार निगराकार एवं गैरनिगराकारण के मध्य बटवारा सहमति से हुआ है, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा सहमति पत्र को अपने बरवारा आदेश का अंग मान कर बटवारा आदेश जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अब प्रश्न रकवे का उठता है तो पटवारी अभिलेख में जो रकवा जिसके हिस्से में आता है उसको उक्त बटवारे के अनुसार अपने–अपने हक के अंश की पटवारी अभिलेख (खसरा–खतौनी) में अंकित रकवे के मुताविक भूमि प्राप्त करने की अधिकारिता होगी। इस संबंध में (रघुनाथ बनाम दिलीप, 1970 रा.नि. 596) में यह स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि निजी ठहराव या व्यवस्था के अधीन आवेदन के पूर्व घरू (प्रायवेट) बटवारा होकर अपने–अपने हिस्सों पर काबिज हैं तब आवेदक बराबरी का हिस्सा विभाजन की कार्यवाही करके नहीं मांग सकता''। इसी प्रकार (लालराम बनाम नारायण, 2007 राजस्व निर्णय 359 रा0मं0 म0प्र0) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि– **सहमति पर आधारित बंटवारा अपील में चुनौतीयोग्य नहीं–धारा 178**–बटवारे का आदेश उभयपक्ष की सहमति के अधीन था। ऐसी स्थिति में इस आदेश को अपील प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी जा सकेगी''। उपरोक्त न्यायसिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश विधिविरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28.06.2011 एवं अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 11.01.2012 विधि की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किए जाते हैं तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.05.2011 विधिअनुकूल एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

M

4.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,ग्वालियर